

NOC

पत्रांक 10 / न 4-58 / 2012.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,
विशेष निदशक, मा० शिक्षा।

सेवा मे.

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

विषय :

स्मार्ट मूव एकेडमी मच्चवॉ, गोपालगंज को अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार कहना है कि स्मार्ट मूव एकेडमी मच्चवॉ, गोपालगंज को अनापति प्रमाण पत्र देने के संबंध मे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न उक्त विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत अभियेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार आई गई :-

1. यह विद्यालय स्मार्ट मूव इंडिया सोशल वैलफेर एण्ड चैरीटेबूल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट मे किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य नियंत्रित सोसाइटी/न्यास के फँन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 04.50 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध है। विद्यालय मे पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत सरबना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4. विद्यालय मे शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों मे विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय मे 15 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

5. विद्यालय मे हिन्दी अनियार्थ रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सांवैज्ञानिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई कर इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

P.T.O

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि:शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी वार्षिक प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कें० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का घयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कें० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, किर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं देने जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों/वर्णित शर्तों सक्षम रामिति के निर्णयानुसार स्मार्ट मूव एकेडमी मध्यवर्गों गोपालगंज को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का जॉच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

₹०/-

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक दिनांक

दिनांक

ज्ञापांक /००२

दिनांक ३१/०७/१२

₹०/-
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को उनके पत्रांक 454 दिनांक 22.06.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, स्मार्ट मूव एकेडमी मध्यवर्ग, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।